प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व बारह हजार रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांकः 18.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 18.09.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर सश्रम आजीवन कारावास एवं 12,000/- रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना संदना से सम्बन्धित मु0अ0सं0 70/10 धारा 302/506/34 भादवि बनाम छोटक्के पुत्र लल्लू निवासी ग्राम छोटी कुसौली थाना संदना जनपद सीतापुर में संदना पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 18.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 सीतापुर द्वारा अभियुक्त छोटक्के उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 भा.द.वि में सश्रम आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 506 भा.द.वि में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 2,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....